खण्ड–36, अंक–02
शुक्रवार, 24 फाल्गुन, शक संवत्, 1934
(15 मार्च, 2013 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2013)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 36 में 05 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	''क''
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग	1–6
प्रश्नोत्तर	6–19
सरकार की नीति के अनुसार अपशिष्ट पदार्थों, कूड़े–कचरे का निपटारा सम्बन्ध में गैसीफिकेशन तकनीक से वाणिज्य बी0एम0आर0 ग्रीन पावर इंडिया प्रा0 स्विटजरलैण्ड की कम्पनी पायरोमैक्स ए0जी0 के साथ मिलकर लगाये जा रहे प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	19–20
जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपकोट के शामा क्षेत्र में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से होने तथा शामा क्षेत्र के कई गाँवों में गाड़े गये विद्युत खम्भों की गुणवत्ता ठीक न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना... ...	20–21
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन द्वारा एल0टी0 एवं एच0टी0 विद्युत संयोजनों में विकास प्रभार के नाम पर व्यवसायिक संस्थानों/फर्मों को दी जा रही छूट का व्यय भार विद्युत उपभोक्ताओं पर डाले जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	21–22
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2012 ...	22
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पुनर्विचार हेतु वापस (सदन के पटल पर रखा गया)	22
उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	22
विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	23
पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	23

विषय	पृष्ठ–संख्या
ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	23
उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	23
उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	24
उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	24
उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	24
उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	24
उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	25
डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	25
उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	25
हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	25
आई0एम0एस0 यूनियन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (अधिनियमित होने की घोषणा)	26
उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की याचिका समिति (2012–13) का प्रथम प्रतिवेदन	26
जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट (मल्ला दानपुर) के ग्राम पंचायत रातिरकेटी के हाई स्कूल का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका	26
जनपद बागेश्वर में विकास खण्ड गैरखेत–हरसीला तक 04 कि0मी0 कपकोट पोलिंग मार्ग का विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका	26

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बागेश्वर की अनुसूचित बस्ती चन्तोला में राजकीय जूनियर हाई स्कूल व गाँव को जोड़ने के लिए चूड़ागाड़ नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका	27
जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत नरगोली में प्राथमिक विद्यालय एवं गांव को जोड़ने के लिए चूड़ागाढ़ नदी पर अनुसूचित बस्ती चन्तोला में राजकीय जूनियर हाई स्कूल एवं गांव को जोड़ने के लिए चूड़ागाढ़ नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका	27
उत्तराखण्ड विविध अधिनियम विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	27–28
भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित) ...	28
उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	28–29
उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित) ...	29
उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	29–30
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	30
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ...	30–31
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएँ	31
नत्थी	32–34

‘क’

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री विजय बहुगुणा
10–श्री गणेश जोशी
11–श्री चन्दन राम दास
12–श्री चन्द्र शेखर
13–डा0 जीत राम
14–श्री तीरथ सिंह
15–श्री दान सिंह भण्डारी
16–श्री दिनेश अग्रवाल
17–श्री दिनेश धनै
18–श्री नवप्रभात
19–श्री नारायणराम आर्य
20–श्री पुष्कर सिंह धामी
21–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
22–श्री प्रदीप बत्रा
23–श्री प्रीतम सिंह
24–श्री प्रीतम सिंह पंवार
25–श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल
26–श्री प्रेम सिंह
27–श्री फुरकान अहमद
28–श्री बंशीधर भगत
29–श्री भीमलाल आर्य
30–श्री मदन कौशिक
31–श्री मदन सिंह बिष्ट
32–श्री मनोज तिवारी
33–श्री माल चन्द
34–श्री मयूख सिंह
35–श्री महावीर सिंह
36–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
37–श्री यतीश्वरानन्द
38–श्री यशपाल आर्य
39–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
40–श्री रमेश पोखरियाल ‘‘निशंक’’
41–श्री राजकुमार
42–श्री राजकुमार ठुकराल
43–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
44–श्री राजेश शुक्ला
45–श्री ललित फर्स्वाण
46–श्री विक्रम सिंह नेगी
47–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
48–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49–श्री बिशन सिंह चुफाल
50–श्रीमती शैला रानी रावत
51–श्री सरवत करीम अंसारी
52–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
53–श्री सुबोध उनियाल
54–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
55–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
56–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
57–श्री हरक सिंह रावत
58–श्री हरबन्स कपूर
59–श्री हरभजन सिंह चीमा
60–श्री हरीश धामी
61–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
62–श्री हेमेश खर्कवाल
63–श्री सुरेन्द्र राकेश
64–श्री संजय गुप्ता
65–श्री हरिदास
66–श्रीमती सरिता आर्या

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नियम–310 की एक सूचना दी हुई है। सरकार की तरफ से बार–बार यह बात आ रही है कि लिखित में नहीं आता है। यद्यपि कल यह लिखित में आने का कोई मौका नहीं था। हमने बाद में माननीय अध्यक्ष जी, आपसे भी अर्ज किया था कि प्रदेश की जो जमीनें हैं वो कौड़ियों के भाव बिक गयी हैं। 500 से 1000 तक का घोटाला सबके सामने एक साल में जो हुआ है उनका हिसाब है। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शेम–शेम के नारे लगाये गये) इसलिए इस पर सी0बी0आई0 इन्क्वायरी की मांग हमने की है। इसकी जांच होनी अति आवश्यक है। मान्यवर, क्योंकि यह कोई छोटा–मोटा मामला नहीं है। एक साल के अन्दर जितनी यह बात हुई है मान्यवर, यह कोई छोटी बात नहीं है, पूरे देश में उत्तराखण्ड की छवि खराब हो गयी है और सरकार, जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे मुँह चुरा रही है। (भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) इसकी सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए। पीठ से एक ऐसा संदेश जाना चाहिए। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद आप उठाईये इस बात को। एक परम्परा बनायी गयी है कि प्रश्नकाल के बाद नियम–310 दिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज हमने लिखित में दे दिया है सी0बी0आई0 जांच के लिए। सरकार का बयान आया था कि कोई लिखित में नहीं देता है तो हम क्या करें। इसलिए हमने लिखित में दे दिया है। यह अति आवश्यक है कि इसमें सी0बी0आई0 की जांच होनी चाहिए। यह पूरे उत्तराखण्ड की आवाज है, किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, सदन

से जुड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस तरह से जमीनों की खरीद–फरोख्त हो रही है, जिस तरह से रियल स्टेट के लोगों को, पूरे देश के लोगों को फायदा देने के लिए, मंत्रि परिषद में भी जिस तरह से बाते आ रही हैं, कन्ट्राडिक्शन जो बयानों में मंत्रि परिषद और मंत्रियों के आ रहे हैं, ये तमाम चीजें यहां के बिल्डरों को फायदा पहुँचाने के लिए की जा रही हैं। इसलिए इसमें सी0बी0आई0 की जांच कराना बहुत आवश्यक है। इससे कम कोई बात नहीं मानी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, इसको नियम–58 में सुन लेंगे।

(नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय भट्ट जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर जोर–जोर से नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया सदन को व्यवस्थित कराईये। अपने लोगों को सीट पर बैठाने की कोशिश करिये। (घोर व्यवधान) किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय। (घोर व्यवधान) मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात उठाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यह गम्भीर मामला है, इसमें आपकी तरफ से सी0बी0आई0 इनक्वायरी का निर्देश इसलिए आना चाहिए क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग आज यहाँ पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि किस प्रकार से सदन की कार्यवाही चलती है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए 'वेल' में आ गये और 'वेल' में बैठ गये। 'वेल' में बैठकर अपनी बात जोर–जोर से उठाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए।

श्री अजय भट्‌ट–

मान्यवर, जहाँ पूरा प्रदेश लुट रहा हो वहाँ प्रश्नकाल से क्या होता है। मान्यवर, अब इसमें तो हमको खुद ही बैठना पड़ेगा।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्‌ट 'वेल' में आकर बैठ गये। 'वेल' में बैठे माननीय सदस्य जोर–जोर से नारे लगाने लगे) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड नहीं की जायेगी। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे और अपनी–अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय भट्‌ट जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने सभी साथियों से अपने–अपने स्थान पर बैठने का आग्रह करें। ('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण नारे लगाते रहे और साथ में अपनी–अपनी बात भी कहते रहे) (घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्‌ट 'वेल' से वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री अजय भट्‌ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला कोई हल्का–फुल्का नहीं है। यह एक गम्भीर मामला है, हमें इसी वजह से 'वेल' में बैठना पड़ रहा है। हम सदन में केवल विरोध करने के लिए नहीं आये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस पर एकेडमिक बहस हो, उस पर हमारे माननीय विधायक अपने को कभी भी अलग नहीं करना चाहते हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्‌ट जी, आपकी सूचना को नियम–58 में सुन लेंगे।

श्री अजय भट्‌ट–

माननीय अध्यक्ष जी, जो आप सदन को व्यवस्थित कराने की बात कह रहे हैं। मैं इसके लिए निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर भू–माफियों को फायदा देने के लिए सरकार ऐसे कानून क्यों बना रही है ? (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, इस सूचना पर नियम–58 पर चर्चा करा लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हम इस विषय पर चर्चा करा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें कल सरकार की तरफ से एक उत्तर आया था कि इस सम्बन्ध में हमको कोई लिखित रूप में नहीं दिया है तो जांच किस पर करायी जाय। मान्यवर, हमने आज की नोटिस में लिखा है कि सी0बी0आई0 इन्क्वायरी की जांच हो, अगर सरकार इस पर निष्कलंक है तो इस कलंक के टीके को हटायें। यह कलंक तो सरकार पर लग गया है। (तालियों की गड़गड़ाहट) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आज सरकार को निर्देश दें, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इसी कैम्पस में होंगे, वह सदन में आयें और आज इतिहास कायम कर दें और आज सी0बी0आई0 से जांच प्रारम्भ करा दें ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाय, अगर कोई गलती नहीं है (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ तो डर क्यों है ? मान्यवर, देश में ऐसे भी उदाहरण आये हैं, यदि लोगों के ऊपर यों ही अंगुली उठी है, तो भी उन्होंने राजनीति से तब तक संन्यास लिया है जब तक उस पर कार्रवाई पूरी नहीं हो गयी हो, इसके उदाहरण माननीय आडवाणी जी और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हैं, इसके अलावा और भी देश में कई उदाहरण हैं। इसलिए मान्यवर, हम लोग 'वेल' में दुःख के साथ बैठे हैं, कोई सुख नहीं है। प्रश्नकाल विपक्ष का होता है, हमारा प्रश्नकाल है, उस पर हमको बोलना है, इसलिए हम लोग दुःखी मन से 'वेल' में बैठे हैं। मान्यवर, यहाँ पर जिस कदर जमीनें बिक रही हैं, आप भी तो इस प्रदेश के हैं, हमारे संरक्षक भी हैं। क्या यह ठीक हो रहा है ? आप 90 दिन तक का जो ला रहे हैं या जो मंत्री परिषद में ला रहे हैं और 90 दिन के बाद फाईल आ जायेगी और ऐसा–ऐसा हो जायेगा तो क्या भू–माफिया या अन्य लोगों के गठजोड़ से फिर से इस प्रदेश को बेच देंगे ? इसलिए मान्यवर, हमने तय किया है कि मैं और हमारे माननीय विधायक सदन में पूरे दिन धरने पर बैठेंगे। मैं निवेदन करता हूँ कि आज आप भी एक इतिहास कायम कर दें। आप ही आज सी0बी0आई0 इन्क्वायरी की जांच के निर्देश दे दें या आप अपनी निगरानी में एक जे0पी0सी0 का गठन कर दें, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण हों। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आप लोगों ने नियम–310 की सूचना दी है। मैं इसको नियम–58 पर सुन लूँगा और उस पर चर्चा हो जायेगी। उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उस पर आगे निर्देश दिये जायेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप जे0पी0सी0 घोषित कर दीजिए। यह तो आपके हाथ में है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने माननीय सदस्यों को अपने–अपने स्थान पर बैठने के लिए कहें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं अपने माननीय सदस्यों को अपने–अपने स्थान पर बैठने के लिए कह दूंगा। (घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' पर बैठे रहे)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप जे0पी0सी0 जैसी कमेटी भी बना दें, आप दोनों की ज्वाइंट कमेटी भी बना दें यह आपके हाथ में है, तो कर दें, हम मान जाते हैं, हम यहाँ पर बैठ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नियम–58 में बात आ जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम इस पर तो नहीं आ रहे हैं, आपका आदेश तो सर्वमान्य है, लेकिन सवाल यह है कि इस प्रदेश में जो हो रहा है क्या यह इसी तरह से चलता रहेगा ? मान्यवर, मंत्रि परिषद में कन्ट्राडिक्शन है, मंत्रियों के अलग–अलग बयान आ रहे हैं, बाहर आकर कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो अन्दर कुछ किया ही नहीं है सिर्फ बातचीत की है और बाहर आकर मंत्रियों के बयान आते हैं कि यह पास हो गया है, आखिर इस प्रदेश में क्या हो रहा है, इस प्रदेश का कोई तो रखवाला होगा। मान्यवर, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप जैसा उचित समझें, अगर आप चाहते हैं तो मैं व्यवस्थित करा देता हूँ, सारे लोगों को बैठा देता हूँ, आप यहीं से घोषणा कर दें, एक कमेटी बना दें, उसमें पक्ष–विपक्ष को 2–4 हमारे और 2–4 पक्ष के हो जायेंगे, हम इसी में मान जायेंगे। मान्यवर, आप जैसा पीठ से निर्देश करते हैं हम वैसे ही कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम–58 में चर्चा कराने की अनुमति देता हूँ, उसके बाद निर्णय होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आखिर इस प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी किसी की तो होगी, हम विपक्ष में हैं अगर हम इस मुद्दे को छोड़ देते हैं तो हमको तो उत्तराखण्ड की जनता दुत्कारेगी, कहेगी कि शासन में बैठे लोग मजबूरियों से नहीं बोल पा रहे होंगे, कुछ लोग बोलना भी चाह रहे होंगे वे दबे हैं, लेकिन ये विपक्ष क्या कर रहा था, यह विपक्ष कैसे देखता रहा, विपक्ष सत्ता पक्ष से मिल गया, किसी ने विपक्ष के साथ मैनेजमेण्ट कर दिया, हमारे ऊपर पुछल्ले लगेंगे, जनता को क्या उत्तर देंगे जो जनता देख रही है कि ये जमीनें बिक रही हैं, सरकार ने तो सत्यानाश कर डाला है, ऐसी सरकार तो कोई आई नहीं है, तो जनता को क्या उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 में हम इसको स्वीकार तो कर रहे हैं, नियम–58 में चर्चा के लिए स्वीकार कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय नेता सदन मेरी बात को सुनकर यहाँ पर आ गये हैं तो मुझे लगता है कि आप सी0बी0आई0 जाँच की घोषणा करेंगे। मुझे लगता है कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा यहाँ पर।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष 'वेल' पर आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बन्दी गृह के कैदियों के भोजन हेतु देय धनराशि बढ़ाने पर विचार

*1–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या कारागार मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में बन्दी गृहों के कैदी को दो समय के भोजन के लिए ₹ 25 देय है ?

नोटः–उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

यदि हाँ, तो क्या सरकार मंहगाई को देखते हुए उक्त राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार (कारागार मंत्री)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कारागार में निरुद्ध बन्दियों को उपलब्ध करायी जाने वाली भोजन सामग्री की मात्रायें निर्धारित होती हैं। मूल्यों में वृद्धि से बन्दियों को देय खाद्य सामग्री की मात्राओं में कमी नहीं की जा सकती है।

प्रदेश में श्रम कानून उल्लंघन के जनपदवार पंजीकृत मामले तथा रोकने के प्रयास

*2–श्री चन्दन राम दास–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, तथा प्रदेश में जनपदवार श्रम कानूनों के उल्लंघन के कितने मामले पंजीकृत हैं ?

सरकार श्रम कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल (श्रम मंत्री)–

जी हाँ।

श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामलों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	जनपद	निरीक्षण पर पाये गये श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामलों का विवरण
1	2	3
1.	ऊधमसिंह नगर	1105
2.	नैनीताल	719
3.	अल्मोड़ा	186
4.	पिथौरागढ़	45
5.	चम्पावत	00
6.	बागेश्वर	00

1	2	3
7.	देहरादून	601
8.	हरिद्वार	307
9.	उत्तरकाशी	34
10.	टिहरी गढ़वाल	42
11.	पौड़ी गढ़वाल	242
12.	चमोली	38
13.	रूद्रप्रयाग	55
	योग	3374

श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार, उपशमन/निर्देशवाद/अभियोजन/दायर करने की कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।

पिथौरागढ़ नगर पालिका में मलिन बस्तियों के भवनों की संख्या व लागत, आवंटित धन के सापेक्ष कुल व्यय तथा भवन निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

*3–श्री मयूख सिंह–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका पिथौरागढ़ में मलिन बस्तियों में कुल कितने भवन बनाये जा रहे हैं ?

तथा इसमें प्रत्येक मकान तथा कुल मकानों की लागत क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आवंटित धन के सापेक्ष कुल कितना व्यय हो चुका है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के जांच में भवन निर्माण में गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें पायी गयी थीं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार (शहरी विकास एवं पशुपालन मंत्री)–

कुल 200 भवन बनाए जा रहे हैं।

प्रत्येक मकान की लागत ₹ 2.05 लाख है तथा कुल 200 मकानों की कुल लागत ₹ 410.00 लाख है।

कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कुल ₹ 560.63 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

जी हाँ।

कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है तथा नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत विकासनगर नगर पालिका अन्तर्गत आवंटित दुकानों के दुकानदारों से वसूली गयी प्रीमियम राशि तथा वर्ष 2008 में आवंटित दुकानें अनुबन्ध द्वारा खाली कराने के बाद दुकानदारों का पुनर्वास

*4–श्री नवप्रभात–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका विकासनगर के अन्तर्गत 28 फीट रोड पर वर्ष 1989 में 24 दुकानों का निर्माण कर आवंटन किया गया था ?

यदि हाँ, तो उस समय आवंटित दुकानों का दुकानदारों से कितना प्रीमियम वसूल किया गया था ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या वर्ष 2008 में इन आवंटित दुकानदारों से दुकान खाली कराने का अनुबन्ध पालिका द्वारा किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या खाली करायी गई दुकानों के स्थान पर नई दुकानों का निर्माण किया गया है ?

क्या सरकार द्वारा उन दुकानदारों को जिनसे इस अनुबन्ध के अन्तर्गत दुकानें खाली करायी गयी थीं। नव निर्मित दुकानों में दुकान आवंटित कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ। वर्ष 1989 से 1991 तक 28 फीट रोड पर निर्मित 24 दुकानों को आवंटित किया गया।

प्रति दुकानदार ₹ 12,000 पंजीकरण शुल्क वसूल किया गया।

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

विस्थापित दुकानदारों द्वारा आंकलित प्रीमियम की धनराशि जमा न करने के कारण से दुकानों का आवंटन नहीं किया गया है।

बागेश्वर नगर की सीवर लाईन की योजना को ए0डी0बी0 के फेज–2 से फेज–3 में डालने का कारण तथा बागेश्वर में सीवर लाईन निर्माण कार्य की योजना

*5–श्री चन्दन राम दास–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर नगर की सीवर लाईन की योजना पूर्व में ए0डी0बी0 के फेज–2 में प्रस्तावित थी ?

यदि हाँ, तो इसे ए0डी0बी0 के फेज–3 में डालने का क्या कारण है ?

क्या सरकार बागेश्वर में सीवर लाईन की योजना का निर्माण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बागेश्वर नगर हेतु सीवर योजना के कार्य ए0डी0बी0 योजनान्तर्गत ट्रॉन्च–3 में प्रस्तावित हैं।

ए0डी0बी0 से अनुमोदन एवं स्वीकृति के उपरान्त ट्रॉन्च–3 के कार्य वर्ष 2015 के पश्चात प्रारम्भ होने प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*6–श्री पुष्कर सिंह धामी–

चतुर्थ सोमवार के तारांकित 7 में स्थानान्तरित।

उत्तराखण्ड के विभिन्न शहरों में ए0डी0बी0/जे0एन0एन0यू0आर0एम0 पानी की लाईन डालने के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत की योजना

*7–श्री मदन कौशिक–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के विभिन्न शहरों में ए0डी0बी0/जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत पानी की लाईन डाली गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या ए0डी0बी0/जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के द्वारा पानी की लाईन डालने का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हो गया है ?

यदि हाँ, तो कुल कितनी किलोमीटर लाईन डाली गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पानी की लाईन डालने के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

जी नहीं।

कुल 335.29 किलोमीटर लाईन डाली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

ए0डी0बी0 के अन्तर्गत पेयजल लाईनों के कारण खुदी हुई सड़कों का निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है तथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत देहरादून में पेयजल लाईनों के कारण खुदी हुयी सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है तथा हरिद्वार में अवशेष सड़कों का निर्माण नगर निगम, हरिद्वार के माध्यम से शीघ्र ही पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। नैनीताल में खुदी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण के अनुबन्ध का विवरण

*8–श्री नवप्रभात–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर निगम देहरादून द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए मुस्कान ज्योति नामक संस्था या किसी अन्य संस्था से कोई अनुबन्ध किया गया है ?

यदि हाँ, तो अनुबन्ध का विवरण क्या है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

नगर निगम, देहरादून द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु ''मुस्कान ज्योति'' नामक संस्था के साथ कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है। नगर निगम, देहरादून द्वारा लोक निजी सहभागिता

के आधार पर कूड़ा निस्तारण हेतु जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून की एकीकृत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए बी0ओ0टी0 के आधार पर मै0 दून वैली वेस्ट मैनजमेन्ट प्रा0लि0 के साथ दिनांक 04–03–2011 से 15 वर्षों का अनुबन्ध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों हेतु कल्याण कार्य योजना

*9–श्री मदन कौशिक–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये बुनकरों के व्यापक कल्याण हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो योजना की रूप रेखा क्या है तथा कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल (खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)–

जी नहीं। पूर्व से ही योजनाएं संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

जनपद नैनीताल स्थित नौकुचियाताल के कमल तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु नीति

1–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल स्थित नौकुचियाताल के कमल तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु कोई ऐसी नीति बनायी जा रही है जिससे कमल तालाब में उगे कमल के फूल भी बचाये जा सकें तथा मछली को भी कोई नुकसान न हो ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उक्त नीति को सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री गणेश जोशी—

प्रथम सोमवार के अतारांकित 97 में स्थानान्तरित।

जनपद हरिद्वार की मंगलौर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत चारा बैंक की स्थापना

2—श्री सरवत करीम अंसारी—

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में चारा बैंक योजना संचालित है ?

यदि हाँ, तो क्या हरिद्वार की मंगलौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चारा बैंक स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

जी हाँ।

जनपद हरिद्वार की मंगलौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय पशु चिकित्सालय, नारसन में चारा बैंक की स्थापना वर्ष 2011—12 में की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुक्कुट पालन एवं बकरी पालन की संचालित योजना तथा दिये जा रहे अनुदान का विवरण

3—श्री सरवत करीम अंसारी—

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुक्कुट पालन, बकरी पालन की कितनी योजनायें संचालित हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उन सबका विवरण और संचालित सभी योजनाओं पर कितना अनुदान दिया जा रहा है तथा तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

वर्तमान में प्रदेश में कुक्कुट पालन एवं बकरी पालन की 05 योजनायें निम्नानुसार संचालित की जा रही हैं:—

1–एस0सी0पी0 / टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत लाभार्थी परक कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना।

2–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत बैक्यार्ड कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना।

3–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बकरी पालन योजना संचालित की जा रही हैं।

4–अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम (चमोली) का सुदृढ़ीकरण।

5–बरबरी बकरी प्रक्षेत्र घुमाकुड़ी ग्वालदम चमोली की स्थापना सम्बन्धी पायलट प्रोजेक्ट।

पशुपालन विभाग अन्तर्गत संचालित कुक्कुट पालन एवं बकरी पालन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

1–एस0सी0पी0 / टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत लाभार्थी परक कुक्कुट पालन योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का चयन कर 50–50 लो इनपुट टेक्नोलोजी (कम लागत तकनीक) के एक दिवसीय चूजों को लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। एक इकाई की स्थापना पर ₹ 1800.00 का व्यय होता है, जिसमें चूजों के क्रय पर ₹ 1000.00 (₹ एक हजार), जाली बाड़े हेतु ₹ 400.00 (₹ चार सौ), दाने पर व्यय हेतु ₹ 200.00 (₹ दो सौ), परिवहन व्यय ₹ 100.00 (₹ सौ), एवं दवा / औषधि पर ₹ 100.00 (₹ सौ) का व्यय, योजनान्तर्गत किया जाता है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा स्तर पर किया जाता है उक्त यूनिटों की स्थापना 100 प्रतिशत अनुदानित है।

2–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कुक्कुट पालन योजनाः–

इस योजना में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को 100–100 चूजों की यूनिट स्थापित कराई जानी प्रस्तावित है, जिसमें कि 50 प्रतिशत धनराशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि का वहन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त यूनिट हेतु प्रत्येक लाभार्थी को वर्ष में दो बार 100–100 एक दिवसीय चूजे उपलब्ध कराए जायेंगे। इसके अतिरिक्त ₹ 500.00, यूनिट की स्थापना हेतु लाभार्थी को उपलब्ध कराये जायेंगे। एक दिवसीय चूजों के परिवहन एवं पैकिंग हेतु ₹ 2.00 प्रति चूजा की धनराशि प्रस्तावित है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा स्तर पर क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि, पशुधन प्रसार अधिकारी एवं पशुचिकित्साधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा।

3–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बकरी पालन योजनाः–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बकरी पालन इकाई के अन्तर्गत एक बड़ी इकाई (10 बकरी+1 बकरा) ₹ 87000.00 प्रति इकाई की दर से स्थापित की जाएगी इस धनराशि

में ₹ 11000.00 परिवहन, बीमा, साईनबोर्ड आदि हेतु प्राविधानित है, जो पूर्णतः 100 प्रतिशत अनुदानित है। शेष ₹ 76000.00 की धनराशि बकरियों/बकरा क्रय एवं बाड़े के निर्माण हेतु रखी गयी है, जिसमें 50 प्रतिशत अंश लाभार्थी का एवं 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा (₹ 38000.00 लाभार्थी का अंश एवं ₹ 38000.00 अनुदान)।

इसी प्रकार छोटी इकाई (5 बकरी+1 बकरा) ₹ 50750.00 प्रति इकाई की दर से स्थापित की जाएगी इस धनराशि में ₹ 7250.00 (₹ सात हजार दो सौ पचास मात्र) परिवहन, बीमा, साईनबोर्ड आदि हेतु प्राविधानित है, जो पूर्णतः 100 प्रतिशत अनुदानित है।

शेष ₹ 43500.00 (₹ तैंतालीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि बकरियों/बकरा क्रय एवं बाड़े के निर्माण हेतु रखी गयी है, जिसमें 50 प्रतिशत अंश लाभार्थी का एवं 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा (₹ 21750.00 लाभार्थी का अंश एवं ₹ 21750.00 अनुदान)।

4 एवं 5–अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम (चमोली) का सुदृढ़ीकरण तथा बरबरी बकरी प्रक्षेत्र घुमाकुड़ी ग्वालदम चमोली की स्थापना सम्बन्धी पायलट प्रोजेक्टः–

उक्त दोनों योजनाएं भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हैं तथा योजनान्तर्गत कुल ₹ 115.65 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत 250 मादा तथा 10 अंगोरा बकरी एवं 250 मादा एवं 10 नर बरबरी बकरी का क्रय किया गया है। उक्त दोनों योजनाओं का उद्देश्य निम्नवत् हैः–

1–राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में प्रथम बार बरबरी बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना कर मांस उत्पादन में वृद्धि करना।

2–राज्य में उपलब्ध बकरियों की नस्ल सुधार करने हेतु बरबरी बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना।

3–भविष्य में प्रक्षेत्र में उत्पन्न होने वाली संततियों को यूनिट स्थापित करने तथा नर बकरों को नस्ल सुधार हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बकरी पालकों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।

4–राज्य के गरीब बकरी पालकों को भविष्य में बकरियों की यूनिट/नर बकरा उपलब्ध कराकर आय के स्रोतों में वृद्धि कर जीवन यापन के स्तर को सुधारना।

पशुपालन विभाग में ठेकेदारी के आधार पर लगाये गये श्रमिकों व कर्मचारियों का जिलेवार विवरण

4–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों/कर्मचारियों को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ? क्या मंत्री जी उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कम्पनी या ठेकेदार (सेवा प्रदाय एजेन्सी) के माध्यम से जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी एवं रुद्रप्रयाग में संविदा पर कोई श्रमिक/कर्मचारी तैनात नहीं किया गया है। शेष जनपदों से सम्बन्धित जिलेवार पूर्ण विवरण संलग्न† हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों द्वारा छोड़ी गयी छोटी नस्ल की गायों और बैलों के संरक्षण व चारे हेतु व्यवस्था

5–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी नस्ल की गायों को और बैलों को लोगों द्वारा छोड़ दिया जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन्हें संरक्षण देने हेतु गौशाला की व्यवस्था/निर्माण करेगी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन्हें संरक्षण देती है या पालती है तो क्या सरकार उसके लिये चारे की व्यवस्था करेगी ?

यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा–9 सपठित उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011 के नियम–25 के प्रावधानों के अनुरूप गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से निराश्रित अलाभकर गोवंश को संरक्षण दिया जाता है तथा उक्त नियमावली के नियम–26 में उपबन्धित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 50 अलाभकर गोवंश को शरण देने वाली राजकीय मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाएं, जो ट्रस्ट एक्ट अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत हों, को राजकीय सहायता दी जा रही है।

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 32–34 पर।

राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 50 अलाभकर गोवंश को शरण देने वाली राजकीय मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाएं, जो ट्रस्ट एक्ट अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत हों, को गोवंश के भरण–पोषण हेतु प्रतिवर्ष राजकीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा–9 सपठित उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011 के नियम–26 एवं शासनादेश सं0–759/XV–1/1(3)/2008 दिनांक 16–12–08, शासनादेश सं0–807/XV–1/11/1(3)/08 दिनांक 07–10–2011 एवं शासनादेश सं0–392/XV–1/7(81)/2005 दिनांक 23–3–2011 में निहित व्यवस्थानुसार गोवंश के भरण–पोषण हेतु राजकीय सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडीहाट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पुनः आरम्भ

6–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडीहाट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य बन्द है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य बन्द होने के क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बन्द कार्य को सरकार पुनः शुरू करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

अवशेष धनराशि अवमुक्त न होने के कारण।

जी हाँ।

आगामी वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत गढ़ी कैण्ट क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने पर विचार

7–श्री गणेश जोशी–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़ीकैण्ट क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने हेतु कैण्ट बोर्ड जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत प्रस्ताव शासन को भेजा गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जे0एन0एन0यू0आर0एम0 फेज–2 के अन्तर्गत गढ़ी कैण्ट क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 फेज–2 प्रारम्भ करने की भारत सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के मडमानले क्षेत्र में पशुपालन केन्द्र की स्वीकृति

8–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के मडमानले क्षेत्र में पशु सेवा केन्द्र नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पशुपालन केन्द्र स्वीकृत करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जनपद पिथौरागढ़ के मडमानले क्षेत्र में पशु सेवा केन्द्र पूर्व से ही स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

9–श्री बिशन सिंह चुफाल–

प्रथम बुधवार के अतारांकित 47 में स्थानान्तरित।

सुरक्षा अधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:35 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही अपरान्ह 12 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में बैठे हुए थे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी माननीय विधायकों ने आज यहाँ पर धरना दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है, हम धरने पर हैं और माननीय नेता सदन की तरफ से यह बात अखबारों में भी आयी है और माननीय नेता सदन ने अभी यहाँ पर भी मुझसे कहा है कि आपने लिखित में कुछ दिया है ? माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी यहाँ पर थीं, हम लोग धरने पर थे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सी0बी0आई0 इन्क्वायरी के लिए लिखित में माननीय नेता सदन को दे रहे हैं आपके माध्यम से। आप हमारे इस पत्र को उन तक पहुँचाने की कृपा करेंगे। हम पूरे दिन यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक कि हमारी मांग नहीं मानी जाती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, जो आपने 310 की सूचना दी, उसको 58 में ले लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारी सारी बातें हो गयी हैं। हमने बहुत निवेदन कर लिया। यह बहुत संवेदनशील मामला है, यह कोई हल्का–फुल्का मामला नहीं है। मैंने बार–बार कहा है, इसलिए हम अपनी मांग पर अडिग हैं। जैसा कि नेता सदन ने भी कहा, हम लिखित में यहाँ पर दे रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप उन तक हमारा पत्र पहुँचा कर अपनी तरफ से भी इसमें सहयोग करेंगे।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट भी 'वेल' में जाकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री प्रदीप बत्रा, श्री ललित फर्स्वाण, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री उमेश शर्मा काऊ तथा श्री बिशन सिंह चुफाल की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्य नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

सरकार की नीति के अनुसार अपशिष्ट पदार्थों कूड़े–कचरे के निपटारा सम्बन्ध में गैसीफिकेशन तकनीक से वाणिज्य बी0एम0आर0 ग्रीन पावर इंडिया प्रा0 स्विट्जरलैण्ड की कम्पनी पायरोमैक्स ए0जी0 के साथ मिलकर लगाये जा रहे प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप बत्रा–

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, रुड़की शहर के पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस अपशिष्ट पदार्थ कूड़े कचरे का निपटारा वातावरण को बिना नुकसान पहुँचाये

ऊर्जा का उत्पादन किया जाये। सरकार की नीति को अमल में लाने के लिए रुड़की नगरपालिका द्वारा अपनी ट्रेंचिंग ग्राउण्ड की भूमि, जो ग्राम सालियर में स्थित है उस पर गैसीफिकेशन तकनीक से कम खर्च में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु प्लांट लगाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आस–पास की नगरपालिकाओं/नगरपंचायतों आदि से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने अपने कूड़े को पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर पहुँचाने की सहमति दे दी।

जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वाणिज्य बी0एस0आर0 ग्रीन पॉवर इण्डिया प्रा0 स्विट्जरलैण्ड की कम्पनी मै0 पायरोमैक्स ए0जी0 के साथ बी0एस0आर0 ग्रीन पॉवर का करार है। पायरोमैक्स कम्पनी अति उच्च तापमान गैसीफिकेशन तकनीक प्रयोग करके एम0एस0डब्लू0 के हानिकारक तत्वों का दहन करती है। इस प्रक्रिया में सघन अप्रत्यक्ष (ठोस कूड़ा कचरा) आदि का निपटारा कम खर्च से वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाये करती है। इससे बिजली का उत्पादन कर बिजली शहर की स्ट्रीट लाईट में प्रयोग की जा सकती है। कम्पनी विद्यमान लैडफिड को हरी पट्टी में परिवर्तित कर देंगी एवं शहर के लिए 2 पार्कों का रख–रखाव भी करेंगी। उत्तराखण्ड में पूरे हरिद्वार जिले में यह संयंत्र स्थापना हेतु भूमि भी उपलब्ध है। पालिका बोर्ड की स्वीकृति का प्रस्ताव 607 दिनांक 10–04–2012 को दिया गया था। आस–पास की नगर पालिकाओं आदि का समस्त कूड़ा इस संयंत्र की स्थापना से निस्तारित हो जायेगा और बिना किसी खर्च के बिजली भी उपलब्ध हो सकेगी, जो जनहित में पथ प्रकाश आदि में काम आयेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने व प्रतिदिन के कूड़े निस्तारण एवं ऊर्जा की प्राप्ति आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उपरोक्त प्लांट की स्थापना कराये जाने हेतु इस पर मैं माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा की मांग करता हूँ।]

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपकोट के शामा क्षेत्र में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से होने तथा शामा क्षेत्र के कई गाँवों में गाड़े गये विद्युत खम्भों की गुणवत्ता ठीक न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललित फर्स्वाण–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत शामा क्षेत्र में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है तथा शामा क्षेत्र के गाँव नामतीचेटाबगड़, ल्वेल्टा, किसमिला, लाथी, भनार आदि गाँवों में विद्युतीकरण हेतु जो खम्भे गाड़े जा रहे हैं, में गुणवत्ता नहीं है। इस कार्य में ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है। क्षेत्र में बिजली

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जैसी मूलभूत समस्या बनी हुई है, जो एक गम्भीर विषय है। बिजली की समस्या का निराकरण होना नितान्त आवश्यक है।

महोदय, क्षेत्र में विद्युत समस्या व विकास की दृष्टि से उक्त प्रकरण पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सूचना पढ़ने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन द्वारा एल0टी0 एवं एच0टी0 विद्युत संयोजनों में विकास प्रभार के नाम पर व्यवसायिक संस्थानों/फर्मों को दी जा रही छूट का व्यय भार विद्युत उपभोक्ताओं पर डाले जाने जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उमेश शर्मा काऊ–

[मान्यवर, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि0, ऊर्जा भवन, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 1859 दिनांक 28–08–2012 के द्वारा एल0टी0 एवं एच0टी0 विद्युत संयोजनों में विकास प्रभार के नाम पर व्यावसायिक संस्थानों/फर्मों को दी जा रही छूट का व्यय भार विद्युत उपभोक्ताओं पर डाले जाने की कार्यवाही की जा रही है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 26–02–2007 को निर्गत विनियम से कार्पोरेशन को करोड़ों की हानि हुई है। संस्थायें जिन्हें लाभ पहुंचा है उनमें मोबाइल टॉवर, शॉपिंग मॉल, प्रापर्टी डीलर इत्यादि हैं, जिन्हें इस विनियम से लाभ हुआ है। मोबाइल टावरों की स्थापना पर विद्युत संयोजन देने में उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न स्थानों पर अलग–अलग धनराशि के प्राक्कलन बनाये गये। पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल टावरों को विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु ₹ 20.00 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता से मात्र ₹ 20000.00 (बीस हजार) विभागीय खाते में जमा किये। ₹ 20.00 लाख के प्राक्कलन में मात्र ₹ 0.20 लाख विभागीय खाते में जमा कराकर अवशेष ₹ 19.80 लाख कॉर्पोरेशन पर वित्तीय भार क्यों डाला गया तथा इसकी वसूली उत्तराखण्ड राज्य की भोली भाली जनता द्वारा क्यों वहन की जाये। विद्युत दरें तय करते समय इन बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है तथा विभागीय अधिकारियों तथा नियामक आयोग के विनियम से जो व्यावसायिक संस्थानों/फर्मों को करोड़ों का लाभ पहुंचाया गया है उसकी जांच किया जाना नितान्त आवश्यक है।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007, अध्याय 2, नये व वर्तमान संयोजन, प्रस्तर 2.2 के बिन्दु 8 के अनुसार अस्थाई संयोजन

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की समाप्ति पर भुगतान न किये गये देय समायोजित करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। इसी प्रकार, सामग्री (जैसे कि मीटर, प्रवर्तक, आईसोलेटर इत्यादि) के नुकसान तथा खण्डित करने का प्रभार, जो कि तात्विक प्रतिभूति के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, को घटाकर वापस कर दिया जायेगा। इन प्रतिभूतियों की वापसी विच्छेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर की जायेगी। ऐसा न करने पर विनियम 2.3.1 (4) के अनुसार ब्याज अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय होगा। इस नियम से भी विद्युत विभाग को हानि होगी।

इस हानि को उत्तराखण्ड राज्य के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रभावित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। उक्त हानि की वसूली के लिये लाभार्थियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है उसकी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सूचना पढ़ने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2012

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पुनर्विचार हेतु वापस

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधयेक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2012–13 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2012 का बारहवां अधिनियम बन गया।

विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का पहला अधिनियम बन गया।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का दूसरा अधिनियम बन गया।

ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का चौथा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का पांचवा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का छठा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का सातवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का आठवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का नवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का दसवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आई0एम0एस0 यूनियन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि आई0एम0एम0 यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की याचिका समिति (2012–13) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की याचिका समिति (2012–13) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट (मल्ला दानपुर) के ग्राम पंचायत रातिरकेटी के हाईस्कूल का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट (मल्ला दानपुर) के ग्राम पंचायत रातिरकेटी के हाईस्कूल का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती दीपा देवी, निवासी ग्राम पंचायत कीमू एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर में विकास खण्ड गैरखेत–हरसीला तक 04 कि0मी0 कपकोट पोलिंग मार्ग का विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद बागेश्वर में विकास खण्ड कपकोट के गैरखेत–हरसीला तक 04 कि0मी0 कपकोट–पोलिंग मोटर मार्ग का विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती निर्मला देवी, निवासी ग्राम पंचायत हरसीला एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर की अनुसूचित बस्ती चन्तोला में राजकीय जूनियर हाईस्कूल व गाँव को जोड़ने के लिए चूड़ागाड़ नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद बागेश्वर की अनुसूचित बस्ती चन्तोला में राजकीय जूनियर हाईस्कूल व गांव को जोड़ने के लिये चूड़ागाढ़ नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती जानकी देवी, निवासी ग्राम पंचायत चन्तोला एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत नरगोली में प्राथमिक विद्यालय एवं गाँव को जोड़ने के लिए चूड़ागाढ़ नदी पर अनुसूचित बस्ती चन्तोला में राजकीय जूनियर हाईस्कूल एवं गाँव को जोड़ने के लिए चूड़ागाढ़ नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत नरगोली में प्राथमिक विद्यालय एवं गांव को जोड़ने के लिये चूड़ागाढ़ नदी पर अनुसूचित बस्ती चन्तोला में राजकीय जूनियर हाईस्कूल एवं गांव को जोड़ने के लिये चूड़ागाढ़ नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती द्रोपती देवी, निवासी ग्राम पंचायत नरगोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विविध अधिनियम विधिमान्यकरण विधेयक, 2013

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विविध अधिनियम विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विविध अधिनियम विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विविध अधिनियम विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013

पर्यटन मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या, सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य 1. श्री राज कुमार ठुकराल, 2. श्री हरबंस कपूर, 3. श्री संजय गुप्ता, 4. श्री अजय भट्ट, 5. श्री बिशन सिंह चुफाल तथा 6. श्री आदेश चौहान, श्री चन्द्रशेखर एवं श्री यतीश्वरानन्द की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1. श्री राज कुमार ठुकराल तथा 2. श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लूंगा तथा शेष सूचनायें कार्यस्थगन की परिधि में नहीं आती हैं। अतः अस्वीकार हुई।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राज कुमार ठुकराल एवं श्री बिशन सिंह चुफाल जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

(घोर व्यवधान के मध्य)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

*श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि ''यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2013 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और माननीय सदस्य श्री नवप्रभात जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ''यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2013 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।'' का समर्थन करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री ललित फर्स्वाण, श्री राज कुमार ठुकराल, श्री नवप्रभात, श्री प्रदीप बत्रा, श्री सरवत करीम अंसारी तथा श्री महावीर सिंह रांगड़ की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री प्रदीप बत्रा की सूचना जो कि रुड़की गंग नहर का नीला पुल (झूला पुल) जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में पहुंचने तथा सोलानी नदी के पुराने पुल का जीर्णोद्धार करवाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री नवप्रभात की सूचना जो कि प्रदेश में खाद्य विभाग द्वारा वर्तमान में नये राशन कार्ड जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं मंगलवार 19 मार्च, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 48 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 तक के लिये स्थगित हुई)

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

दिनांक : 15 मार्च, 2013

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्र0सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 16 पर)

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से वर्तमान तक विभिन्न सेवा प्रदाय संस्था (कम्पनी/ठेकेदार) के माध्यम से संविदा के आधार पर रखे गये श्रमिकों/कर्मचारियों का जनपदवार विवरण

पेज नं0 37 से 39 पेजों को पेस्टिंग किया है

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 विधान सभा / 648–06–03–2014–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो)।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्र0सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 25 पर)

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से वर्तमान तक विभिन्न सेवा प्रदाय संस्था (कम्पनी/ठेकेदार) के माध्यम से संविदा के आधार पर रखे गये श्रमिकों/कर्मचारियों का जनपदवार विवरण

जनपद का नाम	वर्ष	संविदा पर रखे गये श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या	पद जिसके सापेक्ष कार्मिक रखा गया है	स्थान/कार्यालय का नाम	सेवा प्रदाय संस्था/कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1. पिथौरागढ़	2011–12 2012–13	01 01	चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र विण, पिथौरागढ़ के कार्यों हेतु	सर्विस प्रोवाइडर एजेन्सी, ट्रिपल–ए मैनेजमेंट सर्विसेज, चौधरी भवन हल्द्वानी
2. चम्पावत	2011–12 2012–13	01 01	चालक चालक	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चम्पावत हेतु	उपनल के माध्यम से
3. चम्पावत	2011–12 2012–13	03 03	चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी	कुक्कुट प्रक्षेत्र पीपल–कोटी, चमोली के कार्यों हेतु	उपनल के माध्यम से उपनल के माध्यम से
4. उत्तरकाशी	2012–13	03 03	चतुर्थ श्रेणी कम्प्यूटर ऑपरेटर	भेड़ प्रक्षेत्र डुण्डा/थलकुण्डी पशुचिकित्सालय–भटवाड़ी/चिन्यालीसौड़ एवं डुण्डा (1–1)	उपनल के माध्यम से उपनल के माध्यम से
5. हरिद्वार	2010–11 (मात्र 16 दिन) 2011–12 2012–13	02 03 03	चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी	कुक्कुट प्रक्षेत्र/शल्य चिकित्सालय बहादराबाद हेतु ––तदैव–– ––तदैव––	एसेट इन्फोटेक लि0 देहरादून के माध्यम से ––तदैव–– ––तदैव––
6. देहरादून (6.1) कार्यालय–मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून	2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13	01 01 01 01 0 01 01	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम्प्यूटर ऑपरेटर कम्प्यूटर ऑपरेटर कम्प्यूटर ऑपरेटर –– कम्प्यूटर ऑपरेटर चालक	कार्यालय–मुख्य पशु–चिकित्सा अधिकारी, देहरादून हेतु ––तदैव–– ––तदैव–– –– ––तदैव–– लिफ्टिंग वेन, रायपुर हेतु	आर0के0 इन्टर प्राइ0 देहरादून आर0के0 इन्टर प्राइ0 देहरादून आर0के0 इन्टर प्राइ0 देहरादून आर0के0 इन्टर प्राइ0 देहरादून –– एसेट इन्फोटेक लि0 देहरादून उपनल के माध्यम से

1	2	3	4	5	6
(6.2) कार्यालय– परियोजना निदेशक, पशुलोक	2010–11 (3 माह हेतु	02	चतुर्थ श्रेणी	डेरी यूनिट पशुलोक	एसेट इन्फोटेक, लि0 देहरादून
	2011–12 (01 माह) (01 माह 17 दिन) (17 दिन) (6 माह हेतु) (1 माह 07 दिन) (1 माह 15 दिन) (25 दिन हेतु) (15 दिन हेतु) (1 माह 20 दिन)	02 02 02 04 02 01 03 03 02 02	चतुर्थ श्रेणी ––तदैव–– चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी	डेरी यूनिट पशुलोक ––तदैव–– सूकर अनुभाग, पशुलोक कुक्कुट प्रक्षेत्र, पशुलोक कुक्कुट प्रक्षेत्र, पशुलोक प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक परियोजना कार्यालय पशुलोक अश्व–गर्दभ अनुभाग, पशुलोक अश्व–गर्दभ अनुभाग, पशुलोक कृषि अनुभाग, पशुलोक	एसेट इन्फोटेक, लि0 देहरादून ––तदैव–– ––तदैव–– ––तदैव–– ––तदैव–– ––तदैव–– ––तदैव–– ––तदैव–– ––तदैव––
	2012–13	02 02	चतुर्थ श्रेणी ––तदैव––	डेरी यूनिट, पशुलोक कुक्कुट प्रक्षेत्र, पशुलोक	एसेट इन्फोटेक लि0 देहरादून ––तदैव––

अक हम खड़े होकर दो मिनट पुण्यात्मा की शान्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करें।

(तत्पश्चात् सदन में दो मिनट का मौन रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 07 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून
दिनांक : 12 सितम्बर, 2012

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 विधान सभा/643–06–03–2014–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।